[2024] 8 एससीआर आर 810 : 2024 आई. एन. एस. सी 656

नवीन कुमार और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य, आदि।

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20768-20770/2024)

28 अगस्त 2024

[सुधांशु धूलिया और पंकज मित्तल, न्यायाधीशगण]

विवेचनार्थ विवाद्यक

मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता से संबंधित है जिसके द्वारा बी. एड अर्हताधारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

शीर्ष टिप्पण

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009-प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति-बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता-तथ्यों पर, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बी. एड. अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जो देवेश शर्मा के प्रकरण में निर्णय के बाद था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बी. एड. अर्हताधारी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र थे और इसलिए उन्हें कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता-प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर - उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जिसके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के रूप में संबंधित बी. एड. अभ्यर्थियों को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था-बी. एड. अभ्यर्थियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती-इस न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण आदेश कि बी. एड. अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा-

इसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारकों द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दी गई और बी. एड. धारक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई-हस्तक्षेपित:

अभिनिर्धारित किया गया: नहीं बुलाया गया-बी. एड. अर्ह अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में राज्य द्वारा बुलाया गया था, फिर भी चूंकि देवेश शर्मा के प्रकरण, जो कि अब कानून है और तर्क के साथ इसे क्रियान्वित किया जाना है, में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा उन्हें अनर्ह माना गया था, अतः उन्हें उचित रूप से अनर्ह होना अभिनिर्धारित किया गया था-प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए बी. एड. अर्हता नहीं है-इसके अतिरिक्त, इस पक्ष को आदेश दिनांक 08.04.2024 में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, जहां केवल ऐसे अभ्यर्थियों को सरंक्षित किया गया है जिन्हें देवेश शर्मा के प्रकरण में आदेश दिनांक 11.08.2023 से पहले चयनित और नियुक्त किया गया था- चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ताओं को दिनांक 11.08.2023 के बाद नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्तियां भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन थीं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है-नियुक्ति की तारीख जो निश्चित रूप से कट ऑफ तिथि के बाद है, महत्वपूर्ण है-वे अनर्ह हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है-इसके अतिरिक्त, 2019 के नियमों के नियम 8(II) में बी.एड. को अर्हता के रूप में रखा गया है, जो कि एनसीटीई की अधिसूचना के बाद है, जिसे पहले ही देवेश शर्मा के मामले में निर्णय द्वारा अभिखंडित और अपास्त कर दिया गया है-इस प्रकार, विवक्षा से, छत्तीसगढ़ नियमों में बी. एड. की एक अर्हता होने की सीमा तक दी गई अर्हता, देवेश शर्मा के प्रकरण में निर्धारित कानून का अनुपालन करते हुए लागू नहीं की जा सकती है-साथ ही, एन.सी.टी.ई. का आदेश जिसके अंतर्गत देवेश शर्मा के प्रकरण में

निर्णय को आगे की उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संसूचित किया गया था, न्यायालय को दिखाया गया है-इसके बावजूद, बी. एड. अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थीं जो अवैध थी और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिखंडित किया गया था-छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019। [कण्डिकाएँ 10-13]

उद्धृत निर्णय विधियां

देवेश शर्मा बनाम भारत संघ [2023] 11 एससीआर 167: **2023 आई. एन. एस. सी. 704-का अवलंब लिया गया।**

अधिनियमों की सूची

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019।

मुख्य शब्दों की सूची

प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक का पद; बी. एड. अभ्यर्थियों की अर्हता; प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा; भर्ती प्रक्रिया; देवेश शर्मा प्रकरण।

प्रकरण प्रोद्भूत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 3541/2023, 5788/2023 और 7344/2023 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.2024 से उद्भूत विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20768-20770/2024

के साथ

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 10295/2024, 20777-20779/2024, 20776/2024, 13756/2024, 20811/ 2024 और 20812/2024 से

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

उपस्थित पक्षकारों के लिए के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अपूर्व कुरुप, ए. ए. जी., अमित आनंद तिवारी, संजय हेगड़े, रवींद्र श्रीवास्तव, अभिषेक मनु सिंघवी, रंजीत कुमार, गोपाल शंकरनारायणन, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, यू. के. उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, अर्जुन डी सिंह, सुश्री अंकिता शर्मा, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री कृति गुप्ता, शशांक शेखर झा, सुश्री प्रियंका ठाकुर, सुभाष चंद्र झा, अर्चित कौशिक, विशाल सक्सेना, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, सुश्री एरिका याग्निक, दिवा कांत, अनिल कुमार, अभिजीत श्रीवास्तव, सुश्री नौशिना आफरीन अली, अंशुमन श्रीवास्तव, अभिषेक शर्मा, अनिकेत सिंह दास, सुश्री देवांगना सिंह, सुश्री सान्या शुक्ला, सुश्री कृति दुबे, ईशान शर्मा, सुश्री रिया राव, सुश्री सेलिना राज मेवती, पी. एस. पटवालिया, अमित पवन, हसन जुबैर वारिस, सुचित रावत, अभिषेक अमृतांशु, सुश्री आस्था श्रेष्ठ, सुश्री आस्था शेरस्ता, मंदीप कालरा, सुश्री अनुष्णा सतपथी, सुश्री चित्रांगदा सिंह, यशस जे, विशाल सिन्हा, चंद्रतनय चौबे, ऋषि के. अवस्थी, पीयूष वत्स, राहुल कुमार गुप्ता, पुनीत विनय, राहुल राज मिश्रा, अविनाश अंकित, मनोज कुमार, डी. के. गर्ग, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग, अक्षत श्रीवास्तव, अधिवक्तागण

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

1. **<u>देवेश शर्मा बनाम भारत संघ</u>**[1] (दिनांक 11.08.2023 को निर्णीत) के प्रकरण में, हमारे सामने राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25.11.2021 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (अर्थात कक्षा I से कक्षा V तक) की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता डी.एल.एड. (अर्थात, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा) है न कि बी. एड. (अर्थात शिक्षा में स्नातक), और बी. एड. अर्ह अभ्यर्थियों को अनर्ह होना अभिनिर्धारित किया गया था।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एतस्मिन पश्चात **"एन. सी. टी. ई"** के रूप में संदर्भित) की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018, जिसके द्वारा बी. एड. अर्ह अभ्यर्थियों को पात्र ठहराया गया था, अन्य बातों के साथ साथ चुनौती अधीन था। हमारे निर्णय दिनांक 11.08.2023 में, हमने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को मान्य रखा है और इन निष्कर्षों की पुष्टि की है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है न कि बी. एड.। फलतः, एन. सी. टी. ई. की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 और उसमें बनाए गए विनियम, जिनके द्वारा बी. एड. को अर्हता बनाया गया था, को रद्द और अपास्त कर दिया गया।

3. **<u>देवेश शर्मा</u>** (**पूर्वोक्त**) के प्रकरण में उपरोक्त निर्णय दिनांक 11.08.2023 को पारित किया गया था और उसके बाद, मुख्य रूप से ऐसे अभ्यर्थियों से जो बी.एड. अर्हता रखते थे और हाल ही में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों द्वारा चयनित और नियुक्त किए गए थे, से समीक्षा आवेदन, स्पष्टीकरण आदि आते रहे। हमने ऐसे सभी आवेदकों को विस्तार से सुना था और स्पष्ट किया था कि ऐसे बी.एड. अर्ह अभ्यर्थी जो **<u>देवेश शर्मा</u>** (**पूर्वोक्त**) के प्रकरण में हमारे निर्णय से पहले अर्थात

---

1 <u>[2023] 11 [illegible] 167</u> : **2023** आईएनएससी **704**]

दिनांक 11.08.2023 से पहले चयनित और नियुक्त किए गए थे, को बाधित नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके पक्ष में एक विशेष साम्य था। इसलिए, हमारा निर्णय भविष्यलक्षी प्रकृति का होगा, और ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को बाधित नहीं करेगा, जिन्हें **<u>देवेश शर्मा</u>** (**पूर्वोक्त**) के प्रकरण में निर्णय अर्थात दिनांक 11.08.2023 से पहले ही नियुक्त किया जा चुका था। हमारे आदेश दिनांक 08.04.2024 में जो स्पष्ट किया गया था, वह निम्नानुसार था:

> जैसा कि यह प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में बी. एड. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को पहले ही शैक्षणिक प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर नियुक्त किया जा चुका है, हम उन्हें हटाने को न्यायसंगत नहीं मानते हैं। हम, तदनुसार अभिनिर्धारित करते हैं कि 11 अगस्त, 2023 को इस पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। <u>लेकिन इस निर्णय का भविष्यलक्षी संचालन केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जिन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा इस प्रभाव से अधिरोपित की गई किसी भी अर्हता या शर्तों के बिना इस आशय से नियुक्त किया गया था कि उनकी नियुक्ति प्रकरण के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी जो उनके द्वारा संस्थित की गई होगी</u> और ऐसे अभ्यर्थी बिना किसी अनर्हता के नियमित नियोजन में थे और विज्ञापन की सूचना के अनुसरण में नियुक्त किए गए थे जिसमें बी. एड. को वैध अर्हता निर्धारित किया गया था। इस निर्णय के कारण केवल ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह लाभ केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें 11 अगस्त, 2023 को हमारा निर्णय दिए जाने की तारीख से पहले नियुक्त किया गया था। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन या प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उन्हें हमारे वर्तमान आदेश के अंतर्गत लाभ के लिए हकदार नहीं बनाएगी।
> …
>
> हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और उन सभी प्रकरणों, जो इसी विधिक बिंदु पर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हो सकते हैं, पर लागू होंगे।
>
> (प्रभाव वर्धित)

दिनांक 08.04.2024 को हमारे स्पष्टीकरण के बाद, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था, फिर भी स्पष्टीकरण और पुनर्विलोकन आवेदन, किसी न किसी रूप में आते रहे जो सभी निरस्त कर दिए गए थे। अब, याचिकाओं के वर्तमान समूह में, वही प्रश्न फिर से इस न्यायालय के समक्ष आया है, इस बार यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय से उद्भूत हुआ है, जो **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में हमारे निर्णय के अनुपालन में ही पारित किया गया है।

4. उच्च न्यायालय ने **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय के बाद अपने निर्णय दिनांक 02.04.2024 में ऐसे सभी बी.एड. धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर चयन के लिए अपात्र और अनर्ह घोषित कर दिया था।

5. स्वीकार्यतः, वर्तमान मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति आदेश सितंबर 2023 में जारी किए गए थे, अर्थात **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में हमारे निर्णय की तारीख के बाद जो दिनांक 11.08.2023 को पारित किया गया था। हम अपने आदेश दिनांक 08.04.2024 में पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

6. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार नहीं थे। अपने प्रतिरक्षा में बी. एड. अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि बी. एड. प्रयोज्य नियमों अर्थात छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 ("**2019 नियम**") के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं में से एक है, और इस प्रकार, उनके पास आवश्यक अर्हता है।

7. **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश से अवगत होते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश दिनांक 21.08.2023 पारित किया था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को बी. एड. अभ्यर्थियों के संबंध में स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था। इसमें जो कहा गया था, निम्नानुसार है :

> पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए तथा सिविल अपील सं. 5068/2023 (दिनांक 11.08.2023 को निर्णीत देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य) के प्रकरण मे पारित प्रश्नगत विवाद्यक पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भी विचार करते हुए, सहायक शिक्षक के पद के लिए बी. एड. अर्हता धारक अभ्यर्थियों के संबंध में आगे की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा और उत्तरवादीगण द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।

8. उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश को बी. एड. अभ्यर्थियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जहां इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने निम्नलिखित आदेश दिनांक 29.08.2023 पारित किया था:

> इस बीच, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भर्ती प्रक्रिया जो प्रगति पर थी, अब अंतरिम आदेश दिनांक 21.08.2023 द्वारा बाधित है और इस पहलू पर अंततः उच्च न्यायालय द्वारा जो विचार किया जाना है, वह उस रीती के संबंध में है जिसमें इस न्यायालय द्वारा सी. ए. संख्या 5068/2023 में पारित निर्णय को तात्पर्यित किया जाना है, अतः, इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालना न्यायानुमत नहीं होगा।
>
> इसलिए, उक्त सीमा तक, हम एतद्द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 पर रोक लगाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया, जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश की तारीख से पहले जारी थी, जारी रहेगी और <u>इसके अंतर्गत की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों,</u> डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 5788/2023 के

> प्रकरण में <u>उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले विचार के परिणाम के अधीन होंगी</u>। चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
>
> (प्रभाव वर्धित)

9. इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बी. एड. अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति रिट याचिका में उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। बाद में, जब उन्हें नियुक्तियां दी गईं थी, तो उनके नियुक्ति आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि यह नियुक्ति लंबित रिट याचिका में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है। अंततः, डिप्लोमा धारकों (प्राथमिक शिक्षा में) द्वारा दायर याचिकाओं को आक्षेपित निर्णय के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया और इसका तार्किक परिणाम यह हुआ है कि बी. एड. अर्हता धारक शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा सकती है। याचिकाओं के वर्तमान समूह में, हमारे सामने बी. एड. अर्हता धारक ये शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य भी हमारे सामने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.2024 को चुनौती दे रहा है।

10. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता (श्री श्रीवास्तव) का एक तर्क यह है कि **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय ने उन बी.एड. अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी खिड़की खोली थी, जिन्हें चयन के लिए बुलाया गया था। चूंकि, 2019 के नियमों के साथ-साथ एनसीटीई की अधिसूचना की अर्हताओं में से बी. एड. भी एक अर्हता थी और जब तक इसे अपास्त नहीं किया जाता तब तक ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र नहीं कहा जा सकता है। देवेश शर्मा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में हमने जो कहा था, वह यह था कि बी.एड. को अर्हता बनाने वाले विधि को किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया था (जैसा कि राजस्थान में स्थिति थी जब 2019

में शिक्षकों के पद पर भर्ती हो रही थी), ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए था। जो कहा गया था, निम्नानुसार है:

> "उपरोक्त अवधारण करने के बाद, हम सभी की यह भी सुविचारित राय है कि राजस्थान राज्य ने बी. एड. अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं मंगाने में स्पष्ट रूप से गलती की थी, इस कारण से कि उस समय तक जब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया था, बी. एड. अभ्यर्थियों को एन. सी. टी. ई. की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के रूप में सम्मिलित किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी था, जब तक कि इसे न्यायालय द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था। "

जैसा कि हम जानते हैं कि जब राजस्थान में शिक्षकों के पद पर भर्ती की जा रही थी, तब एन. सी. टी. ई. अधिसूचना के अनुसार बी. एड. शिक्षकों के लिए एक अर्हता थी। हमारे द्वारा किया गया उपरोक्त निर्धारण केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए था, जिसने यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया था कि बी. एड. प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक वैध "अर्हता" नहीं थी, फिर सतर्क किया गया था कि सरकार एन. सी. टी. ई. की अधिसूचना की तब तक उपेक्षा नहीं कर सकती थी जब तक कि इसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जाता। बस इतना ही था। छत्तीसगढ़ में, प्रकरण ऐसा नहीं था। बी.एड. अर्ह अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में राज्य द्वारा बुलाया गया था, फिर भी चूंकि उन्हें इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा अनर्ह होना अभिनिर्धारित किया गया था, जो अब कानून है और तर्क से लागू किया जाना है, इसलिए उन्हें उचित रूप से अनर्ह होना ठहराया गया था। **देवेश शर्मा(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में हमारे निर्धारण याचिकाकर्ताओं के लिए कैसे सहायक हैं, हम यह समझने में असफल हैं। यह तर्क पूरी तरह से गलत है। बी. एड. प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए अर्हता नहीं है। इसके अलावा, इस पहलू को आदेश दिनांक 08.04.2024 में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, जहां केवल ऐसे अभ्यर्थियों को सरंक्षित गया है जिनका

चयन और नियुक्ति **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में हमारे आदेश दिनांक 11.08.2023 से पहले हुई थी। चूंकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को दिनांक 11.08.2023 के बाद नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्तियां भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन थीं, इसलिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है। दिनांक 11.08.2023 से पहले चयन प्रक्रिया का पूरा होना सामग्री नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह नियुक्ति की तारीख है जो निश्चित रूप से कट-ऑफ तिथि के बाद की है। वे निरर्ह ठहराए जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है।

11. हम छत्तीसगढ़ के 2019 के नियमों को भी देख चुके हैं। नियम 8 (II) में सहायक शिक्षक की अर्हता इस प्रकार है: -

> **" नियम 8 (II): शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव-** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शित है। प्रारंभिक शिक्षा के लिये, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार विहित अर्हतायें लागू होंगी।"

अनुसूची III के कॉलम 5 में प्रावधान है कि शिक्षकों के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नियमों के अनुलग्नक I के अनुसार होगी। यह अनुलग्नक सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार विहित करता हैः

> "(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा
>
> अथवा
>
> न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता,

मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 50% अकों के साथ स्नातक तथा बी.एड अर्हता (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक) भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में पात्र होंगे। परन्तु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण। "

(प्रभाव वर्धित)

याचिकाकर्ता की पूरी निर्भरता उपरोक्त प्रावधानों पर है। हम पहले ही देख चुके हैं कि नियम 8 (II) सहायक शिक्षक की अर्हता विहित करते समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत दी गई अर्हता का संदर्भ देता है। इतना ही नहीं, उपरोक्त प्रावधान में पुनः एनसीटीई की दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना के अनुवर्ती बी.एड. को अर्हता के रूप में रखा गया है, जिसे **देवेश शर्मा(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में हमारे निर्णय द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है। इसलिए, विवक्षा से, छत्तीसगढ़ नियमों में

दी गई अर्हता जिस सीमा तक बी. एड. को एक अर्हता बनाती है, उसे भी **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में निर्धारित कानून का पालन करते हुए लागू नहीं किया जा सकता है।

12. वास्तव में, हमें आज एनसीटीई का एक आदेश दिनांक 04.09.2023 दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत **<u>देवेश शर्मा</u>(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में निर्णय को आगे की उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संसूचित किया गया था। इसके बावजूद, बी. एड. अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, जो अवैध था और अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से रद्द कर दिया गया है।

13. उपरोक्त को देखते हुए, हमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है।

14. तदनुसार, सभी विशेष अनुमति याचिकाओं को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निराकृत किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम: विशेष अनुमति याचिकाएं निरस्त की गईं।

शीर्ष टिप्पण तैयार किया गया: निधि जैन द्वारा